न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 12/2013
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2013/00200

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.गणपतसिंह गोदपुत्र हुकमसिंह के वारिसान 1/1.श्रीमति लालकंवर पत्नि गणतसिंह 1/2.रणवीरसिंह पुत्र गणपतसिंह 1/3.श्रवणसिंह पुत्र गणपतसिंह 1/4.प्रवीणसिंह पुत्र गणपतसिंह 1/5.प्रदीपसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 1/6.प्रियाकंवर पुत्री गणपतसिंह पत्नी किर्तीपालसिंह जाति राजपूत निवासी देवतरा तहसील फालना 1/7.सुमनकंवर पुत्री गणपतसिंह पत्नी जबरसिंह जाति राजपूत निवासी पिथला तहसील व जिला जैसलमेर 1/8.मंजुशसिंह पुत्री गणपतसिंह पत्नी विजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी जाहनवी तहसील हड़ेसा		1.प्रेमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह के वारिसान 1/1.कैलाश कंवर बेवा प्रेमसिंह 1/2.सुरेन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह 1/3.महिपालसिंह पुत्र प्रेमसिंह 1/4.छैलसिंह पुत्र प्रेमसिंह 2.महेन्द्रसिंह पुत्र गुलाबसिंह 3.जोगसिंह पुत्र गुलाबसिंह 4.छगनकंवर बेवा गंगासिंह जाति राजपूत निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 5.दशरथ कंवर पुत्री गंगासिंह पत्नी कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी असाड़ा हाल—जानवी जिला जालौर 6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादी
2.प्रतिवादी एकतरफा।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक 08.1.2026

1. संक्षिप्त में वाद–पत्र के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि कि वादी गणपतसिंह की गोदमाता सरेकंवर एवं अन्य खातेदारान् की सयुंक्त खातेदारी भूमि ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 441,103,457,467, 1415, व 513 कुल रकबा 128.17 बीघा भूमि अवस्थित थी। जिसमें सरेकंवर का 17/64 हिस्सा था तथा मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है। सरेकंवर द्वारा अपने घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेत खसरा संख्या 441,457 व 467 में से अपना 17/64 का बेचान प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारी प्रेमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह व जोगसिंह पुत्र गुलाबसिंह को दिनांक 27.02.1969 को किया गया था। उक्त बेचान खसरान् के संवध में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। उक्त बेचान के आधार पर नामान्तकरण संख्या 274 भरा गया, जिसमें तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा बेचान संख्या 441,457 व 467 के साथ खसरा संख्या 103,1415, 563 से भी सरेकंवर का नाम विलोपित कर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई,जबकि सरेकंवर द्वारा खसरा संख्या 103, 1415 व 563 का बेचान भी नहीं किया गया था,लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी की गलती से सम्पूर्ण भूमि से सरेकंवर के नाम विलोपित किए जाने के कारण वादीगण के हक हकूको पर कुठाराघात किया गया है। जबकि सरेकंवर के वारिसान वादीगण का मौके पर आंदिनांक कब्जा–काश्त चला आ रहा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अवैध नामान्तकरण संख्या 274 को निरस्त कर खसरा संख्या 103,1415, 563 भूमि में वादीगण का 17/64 हिस्सा खातेदारी घोषित किया जावे तथा बाद वादीगण के हिस्सा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाने हेतु वाद पेश किया गया है।
2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकतरफा कार्यवाही पारित की गई।
3. प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण विवाद के बिन्दू निहित नहीं होने से वादी का वाद–पत्र में वांछित अनुतोष ही तनकीयात मानी गई। वादी की ओर से वाद–पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य गवाह में वादी साक्ष्य में PW.01 गणपतसिंह द्वारा बयानात् कलमबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 ग्राम असाड़ा की खसरा संख्या 103, 441, 457, 467, 563 व 1415 कुल रकबा 128.17 बीघा जमाबंदी संवत् 2068–2071 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 02 इसी ग्राम की खसरा संख्या 441, 457, 467, 1415, 103 व 563 कुल रकबा 128.17 बीघा जमाबंदी सवंत् 2024–2028 प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 03 बेचान पत्र संख्या 28/27.02.1969 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 04 नामान्तकरण संख्या 274 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 05 वादग्रस्त भूमि जमाबंदी सवंत् 2035–2038 तक की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 06 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2040–2043 तक की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 07 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत 2044–2047 तक की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 08 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सवंत्

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2048–2051 तक की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 09 वादग्रस्त भूमि की जमावंदी सवंत् 2052–2055 तक की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 10 वादग्रस्त भूमि की जमावंदी संवत् 2056–2059 तक की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 11 वादग्रस्त भूमि की जमावंदी सवत् 2060–2065 तक की प्रमाणित प्रति, प्रदर्शित करवाए गए।

4. वादीगण अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस पेश की गई थी। वक्त बहस वादीगण अधिवक्ता ने लिखित बहस के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया था,कि वादीगण के पिता/पति गणपतसिंह की गोदमाता सरेकंवर व अन्य खातेदारान् की सयुंक्त खातेदारी भूमि ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की खते खसरा संख्या 441, 103, 457, 467, 1415 व 563 कुल रकबा 128.17 वीघा भूमि अवस्थित थी। जिसमें 17/64 हिस्सा सरेकंवर व शेष हिस्सा अन्य खातेरारान् का निहित था। सरेकंवर अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा था। तदोपरान्त वादी गणपतसिंह की गोदमाता सरेकंवर ने अपनी घरेलु आवश्यकता की पूर्ति के लिए खसरा संख्या 441, 457 व 467 में अपना हिस्सा का बेचान प्रतिवादी संख्या 01 प्रेमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह व प्रतिवादी संख्या 03 जोगसिंह पुत्र गुलाबसिंह को किया गया,शेष भूमि खसरा संख्या 103,1415 व 563 में वादी गणपतसिंह भी हकपूर्वाधिकारी गोदमाता श्रीमति सरेकंवर के नाम से दर्ज हिस्सा राजस्व रेकर्ड में शेष रहा। उक्त बेचान के आधार पर तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 274 खोला गया,जिसमें बेचान खसरा संख्या 441, 457, 467 भूमि का ही भरा जाना था,लेकिन बेचान भूमि के साथ खसरा संख्या 103, 1415, 563 का भी आलोच्य नामान्तकरण भरा जाकर सरेकंवर का वादग्रस्त भूमि से नाम ही विलोपित कर दिया गया,जबकि वादी गणपतसिंह की माता सरेकंवर द्वारा खसरा संख्या 103, 1415, 563 का कभी भी बेचान ही नहीं किया गया था,लेकिन हल्का पटवारी की गलती के कारण रेकर्ड में से नाम हटा दिया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि पर सरेकंवर का कब्जा–काश्त रहा, उनके फोत के बाद वादीगण का कब्जा–काश्त चला आ रहा है,लेकिन राजस्व रेकर्ड मे नाम नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी वादीगण के कब्जा–काश्त में दखलअन्दाजी करने की कोशिश करते रहते है तथा वादीगण की कब्जा–काश्त भूमि को बेचान करने पर उतारू रहते है। जबकि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी सरेकंवर का वादग्रस्त भूमि में 17/64 हिस्सा निहित था, जिस पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादी पक्ष की ओर से अपने साक्ष्य सबूतो से भी साबित किया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण का 17/64 हिस्सा है,जो अपनी खातेदारी में घोषित करवाने के हकदार है। अंत में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 103, 563 व 1415 भूमि में वादीगण को 17/64 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाया जावे।

5. हमनें वादीगण अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिसमें पाया कि मूल ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 441,103,457,467 1415 व 563 कुल रकबा 128.02 बीघा भूमि उदेराजसिंह वल्द

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मेगसिंह 1/2 हिस्सा, मु. सरेकंवर बेवा हुकमसिंह हिस्सा 17/64 व मु. छगनकंवर बेवा सरूपसिंह हिस्सा 05/16 कौम राजपूत सा. देह के नाम दर्ज थी,जो जमाबंदी सवंत 2020–2023 अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में सरेकंवर का 17/64 हिस्सा निहित था। वादी गणपतसिंह की गोदमाता सरेकंवर द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में से खसरा संख्या 441, 457 व 467 में अपना हिस्सा 17/64 का बेचान क्रेता प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 के पिता/पति प्रेमसिंह वल्द उम्मेदसिंह व प्रतिवादी संख्या 03 जोगसिंह पुत्र गुलाबसिंह को किया था,जो बेचानपत्र दिनांक 27.02.1969 प्रदर्श 03 अवलोकन से स्पष्ट है, कि बेचानपत्र के पैराज संख्या 04 व 05 में खसरा संख्या 441,457 व 467 का ही बेचान उल्लेख है। उक्त बेचानपत्र दिनांक 27.02.1969 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 274 खोला गया,जिसमें वादी गणपतसिंह की माता सरेकंवर का सम्पूर्ण खसरान् से नाम विलोपित कर भूमि प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 के पिता/पति उम्मेदसिंह व प्रतिवादी संख्या 03 जोगसिंह के नाम दर्ज कर दी गई,जो कि आलोच्य नामान्तकरण अवैध रूप से पारित किया गया था, क्योंकि सरेकंवर द्वारा अपनी सयुंक्त खातेदारी भूमि में से केवलमात्र खसरा संख्या 441,457 व 467 में से ही अपना हिस्सा 17/64 भूमि का बेचान किया गया था, जो बेचाननामा प्रदर्श 03 अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार खसरा संख्या 441, 457, 467 का ही आलोच्य नामान्तकरण संख्या 274 भरा जाना चाहिए था,लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी की गलती से सम्पूर्ण खसरान् भूमि में सरेकंवर का नाम विलोपित कर दिया गया,जो प्रदर्श 04 अवलोकन से स्पष्ट है। जबकि सरेकंवर द्वारा खसरा संख्या 103, 1415 व 563 का बेचान ही नहीं किया गया था। इस प्रकार वादीगण खसरा संख्या 103, 563 व 1415 में अपना 17/64 हिस्सा खातेदारी घोषित करवाने के हकदार है। इसकी ताईद हल्का पटवारी व भू. अ. निरीक्षक की तथ्यात्मक रिपोर्ट से होता है,जिसमें स्पष्ट अंकन है कि सरेकंवर का वादग्रस्त भूमि में गलत तरीके से नाम विलोपित किया गया। क्योंकि सरकंवर द्वारा खसरा संख्या 441,457 व 467 मे से ही अपना हिस्सा बेचान किया गया था। इस प्रकार आलोच्य नामान्तकरण संख्या 274 अवैध रूप से पारित हुआ था, जबकि नामान्तकरण प्रक्रिया एक फिस्कल प्रक्रिया है,जिसमें किसी खातेदार का गलत तरीके से हक हिस्सा विलोपित किए जाने से किसी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है। इस प्रकार आलोच्य नामान्तकरण संख्या 274 में सरेकंवर का गलत तरीके से नाम हटाए जाने के कारण उनके वारिसान् का हक हिस्सा समाप्त नहीं हो जाते है,क्योंकि यह गलति राजस्व रेकर्ड़ में तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा की गई थी,उनकी गलती की सजा सरेकंवर के वारिस भुगत रहे है, जो कि सजा के हकदार भी नहीं थे। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि में खातेदारी घोषित करवाने के हकदार है। इसके अलावा प्रतिवादी को जरिए सम्मन् तामील शुदा प्राप्त हुए थे। प्रतिवादी प्रेमसिंह न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए थे,जो आदेशिका दिनांक 26.09.2013 व 13.06.2017 अवलोकन से स्पष्ट है तथा प्रतिवादी संख्या 03 जोगसिंह द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 6475/2013 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश की गई थी तथा आदेश दिनांक 06.07.2015 को निस्तारण हो गया था। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 03 जोगसिंह द्वारा नकल प्रतिलिपि भी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सम्पूर्ण पत्रावली की दिनांक 04.07.2013 को प्राप्त की गई थी। इससे यह सावित होता है कि वादी के वाद–पत्र का उक्त प्रतिवादी को सम्पूर्ण ज्ञान था,लेकिन हस्तगत प्रकरण में अपनी ओर से कोई उजर–एतराज पेश नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि वादीगण के वाद स्वीकार करने की मौन स्वीकृति हो सकती है, क्योंकि यदि उजर–एतराज होता,तो आपति पेश करते, लेकिन उक्त प्रतिवादी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। ऐसी सूरत में वादीगण अपना वाद स्वीकार किए जाने में सफल रहे है।

अनुतोषः–उपयुर्क्त विवचेन के आधार पर यह न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण के वाद–पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद प्रारम्भिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 1415 क्षेत्रफल 6.3374 हैक्टयर व खसरा संख्या 563 क्षेत्रफल 2.2500 हैक्टयर व ग्राम रावतोणियो की ढाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 103 क्षेत्रफल 4.0712 हैक्टयर भूमि मे प्रेमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 3 (जोगसिंह पुत्र गुलाबसिंह) का 17/64 हिस्सा विलोपित करते हुए उनके स्थान पर वादीगण की खातेदारी मे 17/64 हिस्सा घोषित किया जाता है। वादीगण के हिस्से भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By metes and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को 1000/शुल्क पर कमीश्नर मुकर्रर किया जाता है,कमीश्नर शुल्क वादीगण मौके पर अदा करेगे। शेष बदूस्तर रहेगा। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में जरिए पत्र या नोटिस के सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम–18 से 21 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

(अशोक कुमार) 08/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 08.1.2026 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर 08/01/2026
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 12/2013

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2013/00200

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.गणपतसिंह गोदपुत्र हुकमसिंह के वारिसान 1/1.श्रीमति लालकंवर पत्नि गणतसिंह 1/2.रणवीरसिंह पुत्र गणपतसिंह 1/3.श्रवणसिंह पुत्र गणपतसिंह 1/4.प्रवीणसिंह पुत्र गणपतसिंह 1/5.प्रदीपसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 1/6.प्रियाकंवर पुत्री गणपतसिंह पत्नी किर्तीपालसिंह जाति राजपूत निवासी देवतरा तहसील फालना 1/7.सुमनकंवर पुत्री गणपतसिंह पत्नी जबरसिंह जाति राजपूत निवासी पिथला तहसील व जिला जैसलमेर 1/8.मंजुशसिंह पुत्री गणपतसिंह पत्नी विजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी जाहनवी तहसील हड़ेसा		1.प्रेमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह के वारिसान 1/1. कैलाश कंवर बेवा प्रेमसिंह 1/2.सुरेन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह 1/3.महिपालसिंह पुत्र प्रेमसिंह 1/4.छैलसिंह पुत्र प्रेमसिंह 2.महेन्द्रसिंह पुत्र गुलाबसिंह 3.जोगसिंह पुत्र गुलाबसिंह 4.छगनकंवर बेवा गंगासिंह जाति राजपूत निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 5.दशरथ कंवर पुत्री गंगासिंह पत्नी कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी असाड़ा हाल–जानवी जिला जालौर 6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः–88,53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 12/2013

निर्णय दिनांक :–08.01.2026

वादीगण की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 08.01.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादीगण वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद प्रारम्भिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 1415 क्षेत्रफल 6.3374 हैक्टयर व खसरा संख्या 563 क्षेत्रफल 2.2500 हैक्टयर व ग्राम रावतोणियो की ढाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 103 क्षेत्रफल

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

4.0712 हैक्टयर भूमि मे प्रेमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 3 (जोगसिंह पुत्र गुलाबसिंह) का 17/64 हिस्सा विलोपित करते हुए उनके स्थान पर वादीगण की खातेदारी मे 17/64 हिस्सा घोषित किया जाता है। वादीगण के हिस्से भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By metes and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को 1000/शुल्क पर कमीश्नर मुकर्रर किया जाता है,कमीश्नर शुल्क वादीगण मौके पर अदा करेगे। शेष बदूस्तर रहेगा। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में जरिए पत्र या नोटिस के सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम–18 से 21 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें

यह आज तारीख 08.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर 08/01/2026
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस	–	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	–	जोड़	———

सहायक कलक्टर 08/01/2026
(एस.डी.ओ.)बालोतरा